

संवेदनशील कदम

देशमें सड़क दुर्घटनाएं न केवल मानवीय जीवनके लिए एक बड़ा त्रासदीपूर्ण मोड़ होती है, बल्कि कई बार दुर्घटनाके बाद पीड़ित परिवारोंको अचानक आये गम्भीर आर्थिक संकट और चिकित्सा खर्चोंका भी सामना करना पड़ता है। ऐसेमें केन्द्र सरकारका सर्वोच्च न्यायालयको सड़क दुर्घटनाएं पीड़ितोंके लिए अन्तरिम मुआवजा योजना लागू करनेकी जानकारी देना एक अत्यन्त संवेदनशील और व्यावहारिक कदम है। इसके तहत मृतकके आश्रितोंको दो लाख और गम्भीर रूपसे घायल व्यक्तिको एक लाख रुपयेकी सहायता मिलेगी। मोटर वाहन अधिनियमकी धारा १६४-ए के तहत लायी गयी यह योजना लम्बे समयसे लम्बित थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालयके कड़े रुख और अधिवक्ता के.सी. जैनकी दायर अवमानना याचिकाके बाद गति मिली। भारतमें सड़क हादसोंकी स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। सड़क परिवहन एवं राजमन्त्री मंत्रालयकी रिपोर्टोंके अनुसार देशमें हर साल करीब ४.६ लाखसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग १.६८ लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, यानी प्रतिदिन औसतन ४६० से अधिक मौतें होती हैं। इन दुर्घटनाओंमें मुख्य रूपसे कमाने वाले वर्गस्थोंकी जान जानेसे परिवार पूरी तरह बिखर जाते हैं। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणमें अन्तिम मुआवजेके फैसले आनेमें सालों लग जाते हैं। ऐसेमें यह अन्तरिम राहत, जो बादमें अन्तिम मुआवजेमें समायोजित हो जायगी, किसी संजीवनीसे कम नहीं है। हालाँकि इस योजनाकी सफलता इसके सफल क्रियान्वयनपर निर्भर करेगी। सर्वोच्च न्यायालयकी पीठका यह कहना सर्वथा उचित है कि जबतक इस योजनाका व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तबतक आम जनता और दुर्घटना दावोंकी सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनलोंको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। प्रस्तावित आनलाइन पोर्टलको सुगम और तेज बनाना होगा, ताकि पीड़ित परिवारोंको कागजी लालफीताशाहीमें न उलझना पड़े। सर्वोच्च न्यायालयने गैर-बीमित वाहनोंसे होने वाली दुर्घटनाओंको भी योजनामें शामिल करनेपर विचार करनेको कहा है। सरकारको इसपर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए ताकि राहत बीमाकी स्थितिपर निर्भर न रहे। सड़क सुरक्षाका अर्थ हादसे रोकनेके साथ-साथ दुर्घटनाके बाद त्वरित चिकित्सा, आर्थिक सहायता और न्याय सुनिश्चित करना भी है। सरकारको निगरानी, समग्रबद्ध भुगतान और जन-जागरूकतापर जोर देना होगा। योजनाको कागजोंसे निकालकर जमीनपर उतारना ही पीड़ित परिवारोंके प्रति वास्तविक संवेदनशीलता होगी। सरकारको इस दिशामें अविलम्ब ठोस कदम उठाने चाहिए।

पतिहन्ता महिलाओंको सबक

मेरठके अमित कश्यप हत्याकाण्डमें दोषी ठहरायी गयी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीपको अदालतने शुक्रवारको फांसीकी सजा सुनायी। मेरठमें एक हफ्तेमें इस तरहके अपराधके लिए मौतकी सजा पाने वाले दूसरे प्रेमी युगल हैं। इसके पहले बुधवारको चर्चित नीला ड्रम काण्डमें सौरभ राजपूतकी हत्यामें उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिलको जिला जजकी अदालतने फांसीकी सजा सुनायी थी। एक युक्ति है कि तीन छिपाये नहीं छिपे चोरी, हत्या, पाप। इन दोनों मामलेमें भी ऐसी ही चाल चली गयी लेकिन सत्य उजागर हो ही गया। सौरभ हत्याकाण्डमें शवको टुकड़ोंमें बांट कर नीले ड्रममें सीमेण्ट-कंक्र्रीटके साथ जाम कर दिया गया लेकिन ड्रमसे उठने वाली दुर्गन्धने पोल खोल दी और एक हफ्ते बाद पुलिसने शव बरामद कर लिया, जबकि दूसरे मामलेमें पत्नी रविताने पतिकी हत्याके बाद घटनाको दूसरा ही रंग देनेका प्रयास किया, जिसमें पूरी तरह विफल रही। अमितका शव घरमें बिस्तरपर मिला था। रविताने पतिकी मौत सांपके डसनेसे होनेकी बात कही। दरअसल रविताने प्रेमी अमरदीपके साथ मिलकर पतिकी पहले ही गला दबाकर हत्या कर दी थी और वारदातको सर्पदंशसे मौत साबित करनेकी साजिश रची। शवके नीचे जीवित सांप मिला, जो एक सपेरेसे खरीदा गया था। अमितके शरीरपर सांप डसनेके कई निशान थे लेकिन अन्तिम संस्कारके पहले पहुँची पुलिसने शवको कब्जेमें लेकर स्वजनके इनकारके बावजूद शवका पोस्टमार्टम कराया, जिसमें खुलासा हुआ कि मौत सांपके जहरसे नहीं, बल्कि गला और मुंह दबानेसे दम घुटनेके कारण हुई। पुलिसकी सख्तीपर रविता और प्रेमीने जुर्म कुबूल कर लिया और सचोई सामने आ गयी। पतिकी हत्यामें पत्नी और प्रेमीको मौतकी सजासे इसी तरहके मामलेमें अपने फैसलेके इन्तजारमें जेलोंमें बंद युगल प्रेमी दहशतमें हैं। फैसलेपर अमल भी शीघ्र होनी चाहिए क्योंकि यह एक व्यक्तिकी हत्या नहीं अपितु विवाह जैसे पवित्र संस्कारके विश्वासकी हत्या है। अदालतका फैसला उचित और न्यायसंगत है।

लोक संवाद

अभिव्यक्तिकी आजादी

महोदय, लोकतंत्रकी सबसे बड़ी खूबसूरती नागरिकोंको अभिव्यक्तिकी आजादी देना है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थामें जनता सिर्फ पांच सालमें एक बार वोट देने वाली मशीन नहीं होती। वह सरकारके फैसलोंकी सजग समीक्षक भी होती है। भारतीय संविधानने नागरिकोंको अपनी असहमति और विरोध दर्ज करानेका एक मजबूत हथियार दिया है। भारतमें विरोध प्रदर्शन करना कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार ही लोकतंत्रको तानाशाही बननेसे रोकता है। भारतीय संविधानका अनुच्छेद १९(१) देश के प्रत्येक नागरिकको वाक् और अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता देता है। इसके तहत किसी भी सरकारी नीति या कानूनके खिलाफ अपनी बात रखने, नाराजगी जताने या शांतिपूर्ण तरीकेसे अपनी मांग रखनेका अधिकार शामिल है। इसीके साथ एक अनुच्छेद १९(१)(ड) बिना हथियारोंके, शांतिपूर्वक एकत्र होनेका अधिकार देता है। ये दोनों अनुच्छेद मिलकर नागरिकोंको शांतिपूर्ण धरने, रैलियां, जुलूस और मार्च निकालनेकी आजादी देते हैं। भारतके सर्वोच्च न्यायालयने भी अपने कई ऐतिहासिक फैसलोंमें स्पष्ट किया है कि सरकारकी नीतियोंसे असहमति जताना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतंत्रकी बुनियादी आत्मा है। भारतका जन्म ही आन्दोलनों और विरोध प्रदर्शनोंकी कोखसे हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीका सत्याग्रह, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आन्दोलन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आजादीके बाद भी कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावोंकी शुरुआत सड़कोंपर हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनोंसे ही हुई है। चाहे वह सत्तरके दशकका जेपी आन्दोलन हो, भ्रष्टाचारके खिलाफ अन्ना हजारेका आन्दोलन हो, या हालके वर्षोंमें हुए विभिन्न सामाजिक आन्दोलन। इन सभीने यह साबित किया है कि जब संसद गुंथी हो जाती है, तब सड़क अपनी आवाजसे व्यवस्थाको जगानेका काम करती है। संवैधानिक अधिकार कभी भी असीमित नहीं होते। संविधानका अनुच्छेद १९(२) इन अधिकारोंपर कुछ तार्किक प्रतिबंध भी लगाता है। विरोध हमेशा शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। हिंसा, आगजनी या सार्वजनिक संपत्तिको नुकसान पहुंचाना संवैधानिक अधिकारके दायरेमें नहीं आता। प्रदर्शनसे दैवकी संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षाको खतरा नहीं होना चाहिए। न्यायालयजैसे भी कई बार साफ किया है कि प्रदर्शनकारियोंको लम्बे समयतक सार्वजनिक रास्तों या सड़कोंको इस तरह जाम करनेका अधिकार नहीं है, जिससे आम नागरिकोंकी जीनेके अधिकार और आवाजाहीपर बुरा असर पड़े। एक स्वस्थ लोकतंत्रके लिए असहमतिका होना उत्तना ही जरूरी है जितना कि सांस लेनेके लिए ऑक्सीजन। विरोध प्रदर्शन नागरिकों और सरकारके बीच संवादका एक माध्यम है। सरकारको भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनोंको दबानेके बजाय, उनकी आवाजको संवेदनशीलता से सुनना चाहिए। अंततः जिम्मेदार नागरिकों द्वारा किया गया शांतिपूर्ण और अनुशासित विरोध ही देशके लोकतंत्रको अधिक परिष्कृत, पारदर्शी और मजबूत बनाता है।-**सूर्यदीप कुशवाहा, वाराणसी।**

स्टारलिक को लेकर भारत की चिन्ता

सरकार इस बातको लेकर गम्भीर रूपसे चिन्तित है कि स्टारलिकके आनेसे चरमपंथियोंको हजारोंकी संख्यामें सैटेलाइट फोन उपलब्ध करानेसे सुरक्षा संबंधी क्या परिणाम हो सकते हैं, जो भारतके हितोंके खिलाफ काम करते हों। सरकार देशकी सुरक्षाको महेनजर रखते हुए आगे बढ़ रही है।

❑ आर. जगन्नाथन

गत ८ अक्तूबरको स्पेसएक्सके मालिक ईलॉन मस्कने दावा किया कि भारतके ओलिगार्क (अति धनाढ्य कुलीन वर्ग) उनकी स्टारलिक सैटेलाइट फोन सेवाओंको रोक रहे हैं। आप मस्कको टेक क्षेत्रके अरबपतियोंमें 'सुपर-ओलिगार्क' कहा जा सकता है। शायद 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' कहावत ऐसे ही मौकोंके लिए बनी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्सपर कहा, 'दुर्भाग्यसे कुछ ओलिगार्क हमें रोक रहे हैं, ताकि भारतीय लोगपर अपनी एकाधिकारवादी पकड़ बनाये रख सकें। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे कौन हैं। यह भारतके लोगोंके खिलाफ अपराध है।' मस्कसे जुड़े एक एक्स अकाउंटने यह भी कहा कि मई २०२६ तक ११,२५६ से अधिक गांवोंमें ४जी सेवाएंतक उपलब्ध नहीं हैं। इस समय 'बोरे चोरी' के खिलाफ प्रदर्शनोंमें लगे राहुल गांधीने भी मस्कके दावेका समर्थन करते हुए' वेलकम टु इंडिया' पोस्ट कर दिया। कोई भारतीय राजनेता कहीं अधिक ताकतवर विदेशी ओलिगार्कके समर्थं उससे कहीं कम ताकतवर भारतीय ओलिगार्कोंके खिलाफ मोर्चा संभाले, शायद इस वक्त इसकी जरूरत नहीं। मस्ककी बात वास्तविकतासे काफी दूर है। स्टारलिकका मुख्य विरोध जियोके मुकेश अंबानी या भारती एयरटेलके सुनील मित्तलकी ओरसे नहीं भारत सरकारकी ओरसे है। सरकार इस बातको



लेकर गम्भीर रूपसे चिंतित है कि ऐसे संघटनोंको हजारोंकी संख्यामें सैटेलाइट फोन उपलब्ध करानेसे सुरक्षा संबंधी क्या परिणाम हो सकते हैं जो भारतके हितोंके खिलाफ काम करते हों।

जब स्टारलिकने भारतमें अपनी सेवाएं शुरू करनेकी मंशा जाहिर की थी तब उसके साथ साझेदारी करने वाले पहले कारोबारी वही ओलिगार्क थे जिनके खिलाफ मस्क अब आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकारने एकाधिकार जैसी स्थिति बननेसे रोकनेके लिए भारत संघार निगम लिमिटेड (बीएसएनएन) और वोडाफोन दोनोंको बचाने रखनेके लिए सैकड़ों करोड़ रुपये दिये हैं या उनका कर्ज माफ किया है। यह मस्क वास्तवमें भारतके अंतिम व्यक्तिगत सेवाएं पहुंचानेके लिए इतने उत्सुक होते तो वह आसानीसे खुद वोडोफोनको आर्थिक मदद देकर बचा सकते थे और भारतीय दूरसंचार व्यवस्थामें अपनी मजबूत जगह बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह भारतीय बाजारमें पैसा कमानेके साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव बढ़ानेके लिए भी प्रवेश करना चाहते हैं। एक्स,

संविधान व्यवस्थाका मूल तत्व

लोकतंत्र असाधारण अनुशासनसे ही सफल होता है। भारतके संविधान निर्माताओंने लोकतंत्रको संविधान व्यवस्थाका मूल तत्व माना था। संविधान निर्माताओंने इसीलिए संविधानमें अनेक संस्थाओंकी व्यवस्था की।

❑ हृदयनारायण दीक्षित

शसनके तीन मुख्य अंग बताये गये। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाकी मजबूत नींव हैं। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों द्वारा संचालित विधायिकाकी व्यवस्था की। वयस्क मताधिकारके आधारपर विधायिका चुने जानेकी विधि बनी। भारतके संविधान (अनुच्छेद ३२४) में निर्वाचन सम्यन करानेके लिए एक आयोगका प्रावधान किया गया। भारतके निर्वाचन आयोगने अपनी स्थापना (१९५०) से लेकर अबतक केन्द्रके (लोकसभा) १८ आम चुनाव और राज्यो एवं केन्द्रशासित प्रदेशोंकी विधानसभाओंके ४०० से अधिक आम चुनाव संपन्न करावये हैं। संप्रति निर्वाचन आयोग गैर-जिम्मेदार विपक्षका निशाना है। भारतीय चुनाव प्रणालीको प्रशंसा सारी दुनियामें होती है। कई देशोंके चुनाव आयोगोंके अधिकारी भारतके निर्वाचन आयोगके बारेमें अधिक जानकारी प्राप्त करनेके लिए भारत आते हैं। लेकिन पिछले दो सालसे देशका प्रतिपक्ष चुनाव आयोगके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। चुनावकी अनियमिततापर सवाल उठाना और उसमें सुधार लानेके लिए सुझाव देना सामान्य प्रक्रिया है। चुनावी जनादेशसे विधायिका बनती है। इसी जनादेशसे सरकारका जन्म होता है और इसीसे विपक्षका भी। लेकिन इसकी अवहेलना की जा रही है। इसको लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनोंने पूरी चुनाव प्रक्रियाके प्रति अविश्वास पैदा किया है। लोकतंत्रकी सफलताके लिए संविधान और उसकी संस्थाओंके प्रति विश्वास बनाये रखना आवश्यक है, लेकिन आन्दोलनोंने पूरी चुनाव प्रणाली और उससे जुड़ी संस्थाओंपर ही सवाल उठाये हैं। भारतका संविधान सम्प्रति राष्ट्रका भारक है। संविधान निर्माताओंने देशकी राज्य व्यवस्थाका चित्र बनाते समय लोकतंत्रको भारतका राष्ट्र धर्म माना। चुने हुए व्यक्तियों/संस्थाओंको विधायी और संविधायी अधिकार मिले। संविधानमें उपर्बोधित बाकी संस्थाओंको सुस्पष्ट लिखित अधिकार दिये गये। भारतका निर्वाचन आयोग ऐसी ही मनोनीत सम्मानित संवैधानिक संस्था है। इसी आयोगके अधिकार सम्प्रति प्रश्नगत हो गये हैं।

देश अविश्वस्यके संकटसे गुजर रहा है। प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थाओंकी गरिमा गिरानेमें जुटा हुआ है। विरोध प्रदर्शनोंकी भी मर्यादाएं होती हैं। पुलिससे युद्ध करना लोकतंत्रका हिस्सा नहीं हो सकता। हद तो तब हो गयी जब प्रतिक्षी नेताओंने सर्वोच्च न्यायालयमें जाकर हुड़दंग मचायी। सर्वोच्च न्यायालयको लेकर विपक्षी नेताओंके अचरमसे पूरा देश सन्न है। न्यायपालिका राजनीतिक मंच नहीं है। प्रतिपक्षी नेताओंके पास यदि कोई वोटोंमें गड़बड़ीके साक्ष्य थे तो उन साक्ष्योंको राष्ट्रपतिको दिया जा सकता था। न्यायपालिकाको राजनीतिमें घसीटनेका क्या तुक है। विपक्षकी मांगोंकी सूची भी बढ़ती हो जा रही है। अब कांग्रेसने घोषणा की है कि वह सत्ता बदलसे कमपर राजी

कैंसर रोगियों के लिए राहतभरा कदम

❑ डा. ओ.पी. त्रिपाठी

अमानवीय कृत्य ही कहा जायगा कि कैंसर जैसे घातक रोगसे जूझ रहे मरीजोंसे दवाओंके मनमाने दाम वसूले जायं। इस जानलेवा रोगसे जूझ रहे मरीजोंको यूं तो उपचारकी अन्य मदतमें भी काफी खर्च करना पड़ता है, लेकिन दवाओंकी अधिक कीमतोंपर नियंत्रण लगाया जाना किसी हदतक राहतकारी साबित हो सकता है। अब केन्द्र सरकारने नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाइयोंपर ट्रेड मार्जिनको तीस फीसदीतक सीमित करनेका फैसला किया है। सरकारका कहना है कि इस कदमका उद्देश्य दवाओंकी कीमतोंमें शामिल अत्यधिक ट्रेड मार्जिनको कम करना है, ताकि फैसलेके मागले दर्ज किये गये और करीब नौ लाख लोगोंकी मौत इस बीमारीसे होनेका अनुमान है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो वर्ष २०५० तक भारतमें हर साल नये कैंसर मरीजोंकी संख्या २८ लाखतक पहुंच सकती है। अन्य अनुमानोंके अनुसार, वर्ष २०४५ तक यह आंकड़ा २८.५ लाखसे अधिक हो सकता है। साल २०२४ में भारतमें पिछले पांच वर्षोंके दौरान कैंसरसे पीड़ित रहे जीवित लोगोंकी अनुमानित संख्या करीब ३३.२ लाख थी। भारतमें स्तन कैंसर, मुंहका कैंसर, गर्भाशय ग्रीवाका कैंसर, फेफड़ों और पेटका कैंसर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं।

बढ़ता वायु प्रदूषण और अन्य हानिकारक तत्वोंके संपर्कमें रहना भी कैंसरके जोखिमको बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं और स्क्रീनिंग कार्यक्रमोंमें सुधारके कारण अब शुरुआती स्तरपर ही अधिक मरीजोंकी पहचान हो पा रही है। कैंसरका इलाज काफी खर्चीला होता है और कई परिवार कर्ज या संपत्ति बेचनेके लिए मजबूर हो

ग्रीक और स्टारलिकके जरिये वह भारतीय राजनीतिको प्रभावित करनेकी बेहद शक्तिशाली स्थितिमें होंगे। शुद्धआती दौरमें सैटेलाइट संचारका बाजार बहुत छोटा रहनेकी संभावना है। विदेशी सैटकोंम कम्पनियोंको भारतमें सेवाकी अनुमति देनेके पीछे तर्क यह है कि देशके अंदरूनी और पहाड़ी इलाकोंमें नियमित दूरसंचार सेवाएं या तो बहुत खराब हैं या बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन यदि यह मान लिया जाय कि इन इलाकोंमें रहने वाले लोग गरीब भी हैं तो ऐसी सेवाओंके लिए भुगतान करने वाला बाजार भी कमजोर रहनेकी सम्भावना है। कम्से कम शुक्रआती वर्षोंमें। सैटेलाइट संचार सेवाओंका वास्तविक बाजार, जिसमें सैटेलाइटसे सीधे मोबाइल फोनतक इंटरनेट पहुंचाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं, क्रमशः इस तरह उभरेगा-सबसे पहले राज्य, यानी सशस्त्र बल, केन्द्रीय और राज्य पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी, इसके बाद राजनेता, कारोबारी, शहरी अमीर और मध्यम वर्ग। इनमेंसे अंतिम चार वर्गोंको, जिनमें ज्यादातर शहरी लोग हैं, सैटेलाइट फोनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पहलेसे ब्रॉडबैंड वाई-फाई और ५जी सेवाएं उपलब्ध हैं।

इस श्रेणीके लिए सैटेलाइट फोन दिखावेकी खरीद हो सकता है। लेकिन तत्क़र और असामाजिक तत्व तत्काल सैटेलाइट फोन रखना चाहेंगे। यह दावा

भारतकी सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं वास्तविक हैं। केवल अराजकतावादी ही इसके उलट तर्क दे सकते हैं। भारतके विभिन्न राज्योंमें पुलिस बल अक्सर दंगाई भीड़को एक-दूसरेसे संपर्क करने और पुलिस व्यवस्थाको मुश्किल बनानेसे रोकनेके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हैं। सैटेलाइटके जरिये इंटरनेट कनेक्शनवाले फोन आसानीसे उपलब्ध होनेपर भीड़को नियंत्रित करनेका तरीका संभव नहीं रहेगा। उग्रवादियोंके हाथोंमें सैटेलाइट फोनकी उपलब्धता ऐसा खतरा है जिसे भारत हल्केमें नहीं ले सकता। यदि इसमें राजनीतिक रुझान रखने वाले स्टारलिक प्रमुखकी संभावना भी जोड़ दी जाय समझना मुश्किल नहीं है।

हास्यास्पद है कि सैटेलाइट फोनका इस्तेमाल पहाड़ोंके गरीब लोग करेंगे। अमीर हमेशा गरीबोंकी मददके तर्कका सहारा लेकर अपने हितोंको उचित ठहराते हैं। दूसरा, इस कारोबारमें शुक्रआती निवेश बहुत बड़ा है। सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी दोनों ही शायद खुद इतना निवेश करनेके बजाय मस्ककी सफलताका लाभ उठाना पसन्द करेंगे। दूसरी ओर सरकारने ही मस्कके बड़े निवेशके साथ भारतमें प्रवेश करनेसे पहले स्वदेशी विकल्प उपलब्ध करानेके लिए अंबानीको १६०० निकट-पुष्क्री कक्षीय उपग्रह स्थापित करनेके लिए प्रेरित किया। सरकारकी ओरसे हो रही देरी संभवतः जानबूझकर है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घरेलू विकल्प उपलब्ध होनेसे पहले स्टारलिक भारतमें इतना शक्तिशाली हो जाय। संभव है कि स्टारलिकको रोकने वाले ओलिगार्क नहीं, बल्कि संप्रभु सत्ता हो, जिसे आंतरिक और बाहरी सुरक्षाकी चिन्ता है। स्टारलिकने कहा है कि वह भारतकी सुरक्षा संबंधी चिन्ताओंका पालन करेगा लेकिन मस्क एक ऐसे बेपरवाह और अप्रत्याशित व्यक्ति हैं, जिनकी राजनीतिक राय और हित बहुत व्यापक हैं। यूक्रेन-

संविधान व्यवस्थाका मूल तत्व

लोकतंत्र असाधारण अनुशासनसे ही सफल होता है। भारतके संविधान निर्माताओंने लोकतंत्रको संविधान व्यवस्थाका मूल तत्व माना था। संविधान निर्माताओंने इसीलिए संविधानमें अनेक संस्थाओंकी व्यवस्था की।

नहीं है।

सरकारों सुस्थापित निर्वाचनके माध्यमसे ही बदलती हैं। निर्धारित संविधानकी व्यवस्थाके अनुसार वे चुनावकी प्रतीक्षा करनेको तैयार नहीं हैं। इन्हें तत्काल सत्ता चाहिए। वे संवैधानिक व्यवस्थाके अनुसार निर्वाचित सरकारको पांच वर्षका कार्यकाल देनेको भी तैयार नहीं हैं। बिना चुनाव ही सत्तापर कब्जा कर लेनेकी उनकी इच्छाकी पोल खुल गयी है। निर्वाचन आयोग छोटी मोटी संस्था नहीं है। निष्पक्षता सुनिश्चित करनेके लिए निर्वाचन आयुक्तको हटानेका प्राविधान न्यायपालिकाके उच्च स्तरीय जजके समान रखा गया है। आयोगकी गतिविधियों और फैसलोंसे नाराज सत्तापक्ष या विपक्ष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संसिधानमें उसे हटाये जानेकी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। संविधान (अनुच्छेद ३२४.५) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्तको उनके पदसे उसी रीतिसे और उन्हीं आधारोंपर ही हटایा जायगा, जिस रीति से और जिन आधारोंपर सर्वोच्च न्यायालयके न्यायधीशोंको हटाय़ा जाता है। हटाय़े जानेका कठोर प्राविधान इसीलिए संविधानमें कठोर रूपमें रखा गया है। विपक्ष इस गरिमाका भी सम्मान नहीं रखता। सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीशोंको हटाय़े जानेकी विधि सुस्पष्ट है कि उसे महाभियोग द्वारा ही हटया जा सकता है अन्यथा नहीं।

विपक्षका अंक गणित सीधा है। वे चुनाव हार गये हैं तो क्या हुआ। उनके अनुसार उन्हें वोटोंकी गड़बड़ीके माध्यमसे हराया गया है। तमाम धांधलियां हुई हैं। इस तरह केन्द्रमें सत्ताहथ् सरकार अवैधानिक है। तीन हप्ता लोगोंके हुल्लड़े कुर्सी खाली होगी और वे सत्ताकी कुर्सीपर कब्जा कर लेंगे। दरअसल वे चुनावी मोर्चेपर लगातार पिट रहे हैं। वे हाका दुष्ट खेल नहीं पाये। अच्छा है कि भारतकी जनता इनकी बातोंपर विश्वास नहीं करती, वरना वोट चोरी चिख़ाते हुए वे देशमें अराजकता फैला देते।

संविधानको हाथमें लेकर भी देश तोड़नेकी बातें करना कितना खतरनाक हो सकता है। संविधानने ही उन्हें मुक्त विचार अभिव्यक्तिका स्वातंत्र्य दिया है। संविधानने ही उन्हें लोकसभामें नेता प्रतिपक्ष कहा। सम्मान दिया। संविधान और उसकी सभी छोटी-बड़ी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो लोकतंत्र आदर्श हो जाता है। लोकतंत्र भारतके लोगोंकी जीवनशैली है। वैदिक कालसे लेकर अबतक राष्ट्रकी सभी संस्थाओंमें लोकतंत्रकी सचन उपस्थिति दिखायी पड़ती है। यहाँ वैचारिक विविधता है। असहमतिका आदर है। मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं। भिन्न-भिन्न विचारों और विश्वासोंको मानने वाले लोग साथ-साथ रहते हैं। संविधानमें भी इस विविधताका स्पष्ट उल्लेख है। वैदिक भारतमें सभा और समितियां थीं। इनमें लोकतंत्री बहर्षें होती थीं। असहमतिका आदर था। लोकतंत्रकी यह भावना सभी दिशाओंमें जीवंत है। ऐसे प्राचीन राष्ट्रके संवैधानिक उपकरणोंको नष्ट करनेका विपक्ष का यह कारनामा बर्दाश्त के बाहर है।

कैंसर रोगियों के लिए राहतभरा कदम

जाते हैं। एक औसत भारतीय परिवारकी सालाना आय है दोसे पांच लाख रुपये। परिवारमें किसीको कैंसर हो जाय तो इलाजमें दससे तीस लाख रुपयेतक लग सकते हैं। ६० से ७० फीसदी मरीज आर्थिक दृष्टिसे बिगड़नेकी वजहसे इलाज बीचमें ही छोड़ देते हैं। नये फैसलेकी खास बात यह है कि इसमें गैर-अनुसूचित श्रेणीकी कैंसररोगी दवाओंको व्यापक रूपसे शामिल किया गया है। यानी ब्रांडेड और जेनेरिक, देशमें बनी और आयातित तथा पेटेंट और गैर-पेटेंट दवाओंपर ट्रेड मार्जिनकी सीमा लागू होगी। इसका मकसद दवाकी कीमत और मरीज द्वारा चुकाई जाने वाली वास्तविक राशिके बीचके अंतरको कम करना है। यह फैसला २०१९ में मोदी सरकार द्वारा किये गये हस्तक्षेपकी अगला कड़ी है। उस समय ५२६ ब्रांडेड कैंसर दवाओंको लेकर किये गये कदमसे सालाना करीब १.८ करोड़ रुपयेकी बचत होनेकी बात सामने आयी थी। अब नये फैसलेके जरिये गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओंपर ट्रेड मार्जिनको सीमित कर सरकारने मरीजोंके लिए इलाजको अधिक किफायती बनानेपर जोर दिया है।

सरकारका अनुमान है कि दवाइयोंकी कीमतोंमें नये सिरसे नियमनके जरिये मरीजोंकी हर साल २५०० करोड़ रुपयेतककी बचत होगी। इस बाबत दावा किया जा रहा है कि कुछ दवाइयोंकी कीमतोंमें सत्र फीसदी तककी कमी आ सकती है। हालांकि मरीजोंको लाभके आंकड़े अनुमानित हैं और इनकी हकीकत प्रावधानोंके लागू होनेपर ही स्पष्ट हो पायेगी। वास्तवमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी हैं कि दर्शायी जा रही राहत वास्तवमें मरीजोंतक भी पहुंचे। समय रहते अधिकारियोंको तुर्तुत उन दवाओंकी जानकारी मरीजों एवं तीमारदारोंको देनी चाहिए, जिनपर यह कटौती लागू की गयी है। साथ ही दर्ज की गयी कीमतोंमें बदलावोंकी भी स्पष्ट करना चाहिए। इसके अलावा नियमोंका पालन सुनिश्चित करानेपर नजर रखी जानी चाहिए। दूसरी ओर ज्यादा कीमत वसूलने वालोंपर सुमना लगाया जाना चाहिए। सरकारको यह धरोसा भी कायम करना होगा कि नयी कीमतोंमें बदलावोंके साथ होनेके बाद दवा कम्पनियां सप्लाई यथावत बनाये रखेंगी। सही मायनेमें कीमतोंमें आयी असली कमी

रूस युद्धमें उनके स्टारलिकने यूक्रेनके पक्षमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और ऐसे खबरें भी सामने आयी हैं कि युद्धक्षेत्रके करीब रूसी सैनिकोंके लिए उसने अपनी सेवाएंतक बंद की हैं। यूरोप और लैटिन अमेरिकाकी कई रूढ़ीवादी और दक्षिणपंथी सरकारोंको उनका समर्थन हासिल है जिनमें अब तेजीसे उभर रहा दल अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी भी शामिल है।

जनवरी २०२५ में उन्होंने ब्रिटेनके प्रधान मंत्री स्टार्मर्के इस्तीफ़ेकी मांग की थी और ब्रिटेनमें आम चुनाव करानेकी मांग की। २०२४ के राष्ट्रपति चुनावमें डोनल्ड ट्रम्पके समर्थनोंमें जुटी ताकतोंको एकजुट करनेमें मस्कने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। ट्रम्पसे उनका मतभेद होनेके बाद ही वहां उनका प्रभाव कम हुआ। लेकिन धनबलके लिहाजसे वह जॉर्ज सोरोससे दस गुना अधिक ताकतवर हैं। अमेरिकाकी भारतीय आर्थिक प्रगतिकी धीमा करने और अमेरिकाको अधिक वस्तुओं और सेवाओंका निर्यात करनेकी भारतकी क्षमतामें अड़चन डालनेकी नयी इच्छाको देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि भारतपर दबाव बनाने और उसे हतोत्साहित करनेके लिए मस्कका इस्तेमाल नहीं किया जायगा।

भारतकी सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं वास्तविक हैं। केवल अराजकतावादी ही इसके उलट तर्क दे सकते हैं। भारतमें इस समय काफी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है और समाजके कई वर्ग अलग-अलग कार्योंसे सड़कोंपर हैं, जिनमें विपक्षी दल, किसान, छात्र और आरक्षणके लिए आन्दोलन करने वाले समूह शामिल हैं। विभिन्न राज्योंमें

पुलिस बल अक्सर दंगाई भीड़को एक-दूसरेसे संपर्क करने और पुलिस व्यवस्थाको मुश्किल बनानेसे रोकनेके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हैं। सैटेलाइटके जरिये इंटरनेट कनेक्शन वाले फोन आसानीसे उपलब्ध होनेपर भीड़को नियंत्रित करनेका यह तरीका संभव नहीं रह जायगा। उग्रवादियोंके हाथोंमें सैटेलाइट फोनकी उपलब्धता ऐसा खतरा है जिसे भारत हल्केमें नहीं ले सकता। यदि इसमें राजनीतिक रुझान रखने वाले स्टारलिक प्रमुखकी संभावना भी जोड़ दी जाय जो विभिन्न देशोंकी राजनीतिको प्रभावित करनेके लिए अपनी ताकतका इस्तेमाल करनेमें सक्षम हो तो स्टारलिकको सुरक्षा मंजूरी देनेमें भी रही देरीको समझना मुश्किल नहीं है। सैटेलाइट फोन पूरी तरह भारतीय कारोबारियोंके नियंत्रणमें रहनेके पक्षमें मजबूत तर्क है। वे भारतीय कानूनोंके अधीन होंगे और कानून-व्यवस्था बिगाड़नेमें मदद करेगा या असाामाजिक तत्वों तथा उग्रवादियोंकी सहायता करनेसे बचनेके लिए संप्रभु सत्ताके दबावके प्रति उत्तरदायी होंगे। एक भारतीय होनेके चलते तो मस्कको भारतमें कभी भी सैटेलाइट लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए।



मांकी महिमा

❑ यशपाल कुमार

माकण्डेय पुराणमें देवीकी महिमाका गान करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-देवी! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा और तुम्हीं वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणवमें अकार, उकार, मकार-इन तीन मात्राओंके रूपमें तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विदुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हीं हो। देवी! तुम्हीं संन्या, सावित्री तथा परम जन्नी हो। देवी! तुम्हीं इस विश्व-ब्रह्माण्डको धारण करती हो। तुमसे ही इस जगतकी सृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होताहै और सदा तुम्हीं कल्पके कन्तमें सबको अपना ग्रास बना लेती हो। गणमयी देवी! इस जगतकी उत्पत्तिके समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन-कालमें स्थिति रूपा हो तथा कल्पान्तके समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामांसा, महामृत्ति, महामोह रूपा, महदेवी और महसूरी हो। तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि भी तुम्हीं हो। तुम खद्गाधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, धनुशुद्धी और परिष-ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यार हो- इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर-सबके पर रहने वाली परमेश्वरी तुम्हीं हो। सर्वस्वरूपे देवी! कहीं भी सत्-असत्पू को कुछ वस्तुएं हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है ? जो इस जगतकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवानकी भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करनेमें यहाँ कौन समर्थ हो सकता है ? मुझको, भगवान शंकरको तथा भगवान विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करनेकी शक्ति किसमें है ? देवी! तुम तो अपने इस उदार प्रभावसे ही प्रशंसित हो। मां दुर्गे! आप समय करनेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिन्तन करनेपर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुःख, दुर्दिता और भय हरने वाली देवी! आपके सिवाय दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करनेके लिए सदा ही दयााई रहता हो।

मरीजोंकी बचत और दवाइयोंकी उपलब्धताकी समय-समयपर जानकारी देनेसे ही सुनिश्चित हो सकेगी। तभी पता चलेगा कि यह कदम वास्तवमें कितना कारगर है। दरअसल सरकार द्वारा कैंसरके मरीजोंकी राहत देनेका यह प्रयास नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीके २०१९ के उस फैसलेको ही आगे बढ़ाता है, जिसमें ४८ नॉन-शेड्यूल्ड कैंसररोगी दवाओंको शामिल किया गया था। दावा किया जाता रहा है कि उस पहलके उपरांत दवाइयोंके ५२६ ब्रांड्समें वार्षिक रूपसे १८.४ करोड़ रुपयेकी बचत मरीजोंकी हुई थी। अतः पिछला अनुभव बताता है कि ट्रेड मार्जिनको रगुलेंट करनेसे पूरी मार्केटमें एक जैसी कीमतें लागू किये बिना भी मरीजोंको वास्तविक लाभ जमीनी स्तरपर मिल सकता है।

वास्तवमें कैंसरके मरीजोंको राहत देनेके उपायोंके क्रममें और अधिक दवाइयोंको इस राहतके दायरेमें लाना होगा, जिसमें विदेशोंसे आयातित और पेटेंट दवाइयां भी शामिल हैं। तभी कैंसर रोगियोंको वास्तवमें अधिक राहत मिल सकेगी, क्योंकि अब भी उन्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। वैसे हकीकतमें देखा जाय तो दवाइयोंके मूल्यकी सीमा तय करनेके बाद भी कैंसरके महरी इलाजका कारगर व्यापक समाधान संभव नहीं है। दरअसल मरीजोंके सामने जांच, सर्जरी, रेडिएशन, अस्पतालोंमें भर्ती होकर और इलाजके बादकी देखभालके लिए भारी-भरकम बिल चुकानेकी मजबूरी होती है। राहतके लिए अस्पतालोंके जरिये बेची जाने वाली चिकित्सा सामग्री और दवाइयोंकी ज्यादा कीमतोंकी भी जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों देशकी शीर्ष अदालतने भी इस बातको लेकर चिन्ता जतायी थी कि अस्पतालोंमें दवाइयां और चिकित्सामें सहायक उपकरणों